



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 2018/ फाल्गुन 8, 1939

No. 101]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2018/ PHALGUNA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

सा.का.नि.186(अ).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 9क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के आदेश सा. का. नि. 191 (अ), दिनांक 26 मार्च 2013, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2018 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राज-पत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2013 की अनुसूची में,-
(क) अनुसूची ख में, क्रम संख्या 17 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-
“18. 4-एनिलिनो -N-फेनएथाइलपिपरेडाइन (ANPP)
19. N-फेनेथाइल-4-पिपरिडाइन (NPP)”;

(ख) अनुसूची ग में, क्रम संख्या 17 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः -

- “18. 4-एनिलिनो -N-फेनएथाइलपिपरेडाइन (ANPP)
- 19. N-फेनेथाइल-4-पिपरिडाइन (NPP)”;

[फा.सं. एन-12019/3/2016-एनसी-II]

विजय कुमार बालयान, अवर सचिव

नोट :प्रधान आदेश को सा.का.नि. 191 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2013 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2018

G.S.R. 186(E). – In exercise of the powers conferred by section 9A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue number G.S.R 191 (E), dated the 26th March, 2013, namely: -

1. (1) This order may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Amendment Order, 2018.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013, in the Schedule, -
(a) in Schedule B, after serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -
“18. 4-Anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)
19. N-Phenethyl-4-piperidone (NPP)”;
(b) in Schedule C, after serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -
“18. 4-Anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)
19. N-Phenethyl-4-piperidone (NPP)”.

[F. No. N 12019/3/2016-NC-II]

VIJAY KUMAR BALYAN, Under Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India *vide* number GSR 191 (E), dated the 26th March, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

सा.का.नि.187(अ).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

(1) इन नियमों को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियमावली, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 की अनुसूची-I में, उपशीर्ष “॥ मनःप्रभावी पदार्थ” के अंतर्गत, क्रम संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“18	4-मेथाइलएथैकैथिनोन	4-MEC	-
19	एथीलोन		-
20	पेटेंट्रोन	--	-
21	इथाइलफेनीडेट	-	-
22	मेथिओप्रोपामाइन	MPA	-
23	MDMB-CHMICA	-	-
24	5F-APINACA	5F-AKB-48	-
25	XLR-11	-	-
27	उपर्युक्त के लवण और उत्पाद	-	-

[फा.सं. एन-12019/3/2016-एनसी-II]

विजय कुमार बालयान अवर सचिव

नोट:- प्रधान नियमावली को सा.का.नि. 837 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1985 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और बाद में इसमें अधिसूचना का.आ. 786 (अ), दिनांक 26 अक्तूबर, 1992, का.आ. 599 (अ), दिनांक 10 अगस्त, 1993, सा.का.नि.748 (अ), दिनांक, 14 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 543, दिनांक 24 अक्तूबर, 1994, सा.का.नि. 82, दिनांक 14 फरवरी, 1995, सा.का.नि. 556 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 1995, सा.का.नि.25 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, सा.का.नि. 509 (अ), दिनांक 4 नवम्बर, 1996, सा.का.नि.350 (अ), दिनांक 25 जून, 1997, सा.का.नि.214 (अ), दिनांक 19 मार्च, 2002, सा.का.नि.763 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2002, सा.का.नि.115 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2003, सा.का.नि.129 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2003, सा.का.नि.217 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2003, सा.का.नि. 95 (अ), दिनांक 4 फरवरी, 2004, सा.का.नि.104 (अ), दिनांक 25 फरवरी, 2005,

सा.का.नि.736 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. 639 (अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2006, सा.का.नि.2 (अ), दिनांक 1 जनवरी, 2008, का.आ.1661 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2010, का.आ.739 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2011, सा.का.नि.470 (अ), दिनांक 21 जून, 2011, सा.का.नि. 905(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2011, सा.का.नि. 426(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 74(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2015, सा.का.नि. 224 (अ), दिनांक 25 मार्च, 2015, सा.का.नि. 359 (अ), दिनांक 5 मई, 2015, सा.का.नि. 500 (अ), दिनांक 17 जून, 2015, सा.का.नि. 685(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2016, सा.का.नि. 61(अ), दिनांक 20 जनवरी 2017, और सा.का.नि. 428 (अ), दिनांक 2 मई 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2018

G.S.R.187(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 read with section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely: -

(1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, in Schedule I, under the heading “ II. Psychotropic substances”, for serial number 18 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“18	4-Methylethcathinone	4-MEC	-
19	Ethyalone		-
20	Pentedrone		-
21	Ethylphenidate		-
22	Methiopropamine	MPA	-
23	MDMB-CHMICA		-
24	5F-APINACA	5F-AKB-48	-
25	XLR-11		-
26	-	Catha Edulis (Dry Chatt or Mira Leaves Dry Chat Edulis)	-
27	Salts and preparations of above	-	-”.

[F. No. N-12019/3/2016-NC. II]

VIJAY KUMAR BALYAN, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.837(E), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended vide numbers S.O. 786 (E), dated the 26th October, 1992, S.O. 599 (E), dated the 10th August, 1993, G.S.R. 748 (E), dated the 14th December, 1993, G.S.R. 543, dated the 24th October, 1994, G.S.R. 82, dated the 14th February, 1995, G.S.R. 556 (E), dated the 14th July, 1995, G.S.R. 25 (E), dated the 12th January, 1996, G.S.R. 509 (E), dated the 4th November, 1996, G.S.R. 350 (E), dated the 25th June, 1997, G.S.R. 214 (E), dated the 19th March, 2002, G.S.R. 763 (E), dated 14th November, 2002, G.S.R. 115 (E), dated the 21st February, 2003, G.S.R. 129 (E), dated the 26th February, 2003, G.S.R. 217 (E), dated the 17th March, 2003, G.S.R. 95 (E), dated the 4th February, 2004, G.S.R. 104 (E), dated the 25th February, 2005, G.S.R. 736 (E), dated the 22nd December, 2005, G.S.R. 639 (E), dated the 13th October, 2006, G.S.R. 2 (E), dated the 1st January, 2008, S.O. 1661 (E), dated the 13th July, 2010, S.O. 739 (E), dated the 11th April, 2011, G.S.R. 470(E), dated the 21st June, 2011, G.S.R. 905(E), dated the 28th December, 2011, G.S.R. 426(E), dated the 1st July, 2014, G.S.R. 74(E), dated the 5th February, 2015, G.S.R. 224 (E), dated the 25th March, 2015, G.S.R. 359 (E), dated the 5th May, 2015, and G.S.R. 500 (E), dated the 17th June, 2015, G.S.R. 685 (E), dated the 12th July, 2016, G.S.R. 61(E), dated the 20th January, 2017 and G.S.R 428 (E), dated the 2nd May, 2017.